बिहार विधान सभा वादवृत

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि २७ मार्च, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short notice questions and Answers.

आई० एल० डब्लू० के कार्यालय में रिजल्टेन्ट की बहाली।

†८४। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, जनकार्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि आई० एल० डब्लू० कार्यालय में एक रिजल्टेन्ट सेकण्ड ग्रेड किरानी की जगह नवम्बर, १९५२ में खाली हुई थी, जिसपर पी० डब्लू० डी० के एक बिल किरानी श्री आसिफ अली अन्सारी, जो सिर्फ ९ अप्रिल, १९५२ से एक सहायक का वेतन पाते थे की नियुक्ति हुई;

(ख) क्या यह बात सही है कि आई० एल० डब्लू० ने किसी अन्य योग्य व्यक्ति की मांग न करके खासकर श्री अन्सारी की मांग की;

(ग) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पद के लिये आई० एल० डब्लू० के करेसपोन्डेंस किरानियों का ही हक कायदे के मुताबिक था;

(घ) क्या यह बात सही है कि आई० एल० डब्लू० के सभी करेसपोन्डेन्स किरानियों ने तथा जनकार्य विभाग के १८ सीनियर तथा अनुभवी सहायकों ने वैधानिक रीति से चीफ इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० के पास अपने दावे की दरखास्तें दी थीं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सरकार इस विषय में क्या करना चाहती है?

श्री मुहम्मद शफी—(क) जवाब 'हां' में है।

(ख) जवाब हां में है।

(ग) एस० ओ० और आई० एल० डब्लू० का कहना है कि अपने आफिस के किरानियों को इस पोस्ट के लिये उन्होंने नाकाबिल समझा था।

(ङ) चूंकि यह पोस्ट एस० ओ० और डी० एल० ओ० के आफिस का है और उनको इसका हक था कि वे उस पर बहाली करें, चूंकि चीफ इंजीनियर के आफिस के और किरानियों का इस पोस्ट पर हक नहीं हो सकता है और चूंकि सरकार के पास कोई ऐसी दरखास्तें नहीं आयी हैं सरकार इस बारे में कुछ नहीं करना चाहती है।

धरहरा थाना में थाना का मकान।

†९०। श्री रमेश झा—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिले के धरहरा थाने में पुलिस-स्टेशन का जो मकान है वह बिल्कुल फूस का बना हुआ है जिससे उसमें रहनेवाले अधिकारियों को रहने एवं दफ्तर चलाने में कठिनाई होती है;

†सदस्य की अनुपस्थिति में श्री रामानन्द तिवारी के अनुरोध से उत्तर दिया गया।

(ख) जिन मेम्बरों को अलाहिदा क्वार्टर्स नहीं मिला है उनमें से बहुत को उसकी जरूरत नहीं है। मिशाल के तौर बिहार असेम्बली के ४४ मेम्बरों में से जिनको क्वार्टर्स नहीं मिला है सिर्फ १६ मेम्बरों ने क्वार्टर्स के लिए अप्लिकेशन दिए हैं। बिहार असेम्बली और कौंसिल के मेम्बरों को रहने के लिए ज्यादा क्वार्टर्स बनाने के सवाल पर सरकार विचार कर रही है।

श्री फजलुर रहमान—क्या सरकार बतलायेगी कि जो क्वार्टर्स एम० एल० ए० के लिये हैं उनमें एम० एल० ए० लोग रहते हैं या गैर एम० एल० ए० लोग भी रहते हैं?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता है।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे एम० एल० ए० और एम० एल० सी० को भी क्वार्टर्स दिया गया है जिनका मकान पटने में है?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता है।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि मीठ आर० ब्लौक में एक-एक कोठरी वाले एक-एक क्वार्टर्स में दो तीन मेम्बर लोग रहते हैं?

श्री मुहम्मद शफी—जिन लोगों को मकान नहीं मिला उनके लिए सरकार मकान बनाने को सोच रही है।

मधेपुरा में हवाई अड्डा।

*१३०२। श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सहरसा उप-जिला में यातायात के साधनों की बड़ी कमी है;

(ख) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा में एक हवाई अड्डा बनाने की बड़ी आवश्यकता है;

(ग) क्या यह बात सही है कि इस संबन्ध में आज से तीन वर्ष पूर्व एक दरखास्त दी गयी थी, यदि हां, तो उस दरखास्त के ऊपर क्या कारवाई हुई;

(घ) क्या यह बात सही है कि हवाई अड्डा नहीं बनने के कारण महामहिम राज्यपाल को वहां जाने में बहुत समय बर्बाद हुआ एवं कठिनाई उठानी पड़ी;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वहां कितने दिनों में हवाई अड्डा बनवाने का विचार कर रही है?

श्री मुहम्मद शफी—(क) जवाब 'हां' में है।

(ख) कुछ इतनी जरूरी नहीं है।

(ग) सहरसा जिला में हवाई अड्डे बनाने की मांग पर सरकार ने सोच विचार कर यह फैसला किया था। माली दिक्कतों और इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे बनाने की जरूरत वहां नहीं है।

(घ) ऐसी जगह में हवाई अड्डा नहीं रहने की वजह से कुछ दिक्कत जरूर होती है।

(ङ) मौजूदा माली हालत को ध्यान में रखते हुए यह कहना मुश्किल है कि मधेपुरा में हवाई अड्डा बनेगा या नहीं और अगर बनेगा तो कब। लेकिन इसकी जांच कराई जायेगी कि क्या खर्च होगा।

श्री राम जन्म महतो—क्या सरकार बतलायेगी कि यातायात के साधन में कमी के क्या कारण है?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है।

सड़क का प्रान्तीयकरण।

१३०३। श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) बीहपुर-विरपुर रोड एवं मुरलीगंज-मधेपुरा रोड का प्रान्तीयकरण कब हुआ;

(ख) उक्त दिनों सड़कें अभी तक पक्की नहीं हुई;

(ग) उनके होने की आशा कब तक की जा सकती है;

(घ) क्या यह बात सही है कि सहरसा उप-जिला में यातायात के लिये एक भी अच्छी सड़क नहीं है;

(ङ) यदि खंड (घ) का उत्तर 'हां' में हो तो क्या सरकार बिहारगंज होकर किशुनगंज-त्रिवेणीगंज की सड़क को प्रान्तीयकरण करने के ऊपर विचार करेगी?

श्री मुहम्मद शफी—(क) इन दोनों सड़कों को पी० डब्लू० डी० ने १९५०-५१ में अपने हाथ में लिया।

(ख) जवाब नहीं में है।

(ग) इन्हें पक्की करने के लिये जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट मिलने पर इन्हें पक्की बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी यह कहना मुश्किल है कि यह सड़कें कब पक्की हो जाएंगी।

(घ) कुछ हिस्सा में जवाब 'हां' में है। डिस्ट्रिक्ट की दो इम्पोर्टेंट सड़कों को जिनका सुधार यह महकमा कर रही है, जल्द से जल्द अच्छी हालत में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

(ङ) मौजूदा माली हालत की वजह से सरकार अभी इस सड़क को अपने हाथ में लेने में दिक्कत महसूस करती है। जांच कराने पर सरकार गौर करेगी कि क्या किया जा सकता है।